भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 93

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया जाना है)

आंध्र प्रदेश में एसएफआईओ की जांच के दायरे में कंपनियां

93. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2020 से गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच के दायरे में आंध्र प्रदेश स्थित कंपनियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) जांच की जा रही धोखाधड़ी की प्रकृति और संबंधित क्षेत्र तथा प्रत्येक जांच की वर्तमान स्थिति-लंबित, पूर्ण या दायर आरोपपत्र संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एसएफआईओ ने गत पांच वर्षों के दौरान एनसीएलटी/एनसीएलएटी या अन्य अदालतों के समक्ष आंध्र प्रदेश से संबंधित किसी भी मामले में अभियोजन दायर किया है; और
(घ) यदि हां, तो इन मामलों की जांच की स्थिति क्या है और कारपोरेट धोखाधड़ी के लिए एनसीएलटी या फास्ट-ट्रैक अदालतों में समर्पित पीठ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): 2020 से गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) की जांच के तहत आंध्र प्रदेश स्थित कंपनियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है: -

वित्तीय वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-2026 (30.06.2025 तक)**
एसएफआईओ जांच के दायरे में आंध्र प्रदेश स्थित कंपनियों की संख्या	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	10

(ख): जांच की जा रही धोखाधड़ी की प्रकृति और इसमें शामिल क्षेत्र तथा वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

सेक्टर	**जांच के अधीन कंपनियों की संख्या**	**धोखाधड़ी की प्रकृति की जांच की जा रही है**	**वर्तमान स्थिति**
निर्माण/रियल एस्टेट	2	धन-विचलन एवं गबन	लंबित
कृषि उत्पादक कंपनियाँ	2	धन-विचलन एवं गबन	लंबित
खाद्य पदार्थों की पैदा-वार	1	धन-विचलन एवं गबन	लंबित
धातु	2	धन-विचलन एवं गबन	लंबित
अन्य / विविध	3	धन-विचलन एवं गबन	लंबित
	1	नकली निदेशकों वाली कागजी कंपनियों का रैकेट।	पूरा किया गया

(ग) और (घ): एसएफआईओ द्वारा अभियोजन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य में अधिकार क्षेत्र वाली किसी भी कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य में अधिकार क्षेत्र वाली किसी भी कंपनी के विरुद्ध एनसीएलटी/एनसीएलएटी के समक्ष कोई याचिका, आवेदन या संदर्भ फाइल नहीं किया गया है, इसलिए, कारपोरेट धोखाधड़ी के लिए एनसीएलटी या किसी अतिरिक्त विशेष न्यायालय के लिए कोई समर्पित पीठ गठित करने की आवश्यकता नहीं है।

******